निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-35 वर्ष 2016-17 यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्षा द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल** के माह 04/2012 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री राम सनेही एवं श्री एस0के0सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी** द्वारा दिनांक **07.12.2016 से 12.12.2016** तक **श्री पी0सी0श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मक : इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2012 से 11/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:.....

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	-	461.25	430.66	12.44	11.77	-	-
2014-15	-	-	466.11	459.18	10.40	8.34	-	-
2015-16	-	-	620.85	615.71	26.16	25.55	-	-
2016-17 exp- 11/2016	-	-	584.53	361.14	13.74	10.51	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
		शून्य			

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **कार्यालय उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल 'सी'** श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः संलग्न

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि :** लेखापरीक्षा में .....

लेखापरीक्षण दिश निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **12/2015 एवं 09/2016** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। ..... (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन..... ..... विविध का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्त्यां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की **धारा 13 एवं 16** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

(इस भाग में नियमितता से सम्बन्धित मामले/विशिष्ट विषयों के मामले एवं औचित्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित किये जाय)

.....शून्य.....

भाग-II 'ब'

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से सम्बन्धित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

.....शून्य.....

STAN

प्रस्तर-1 धनराशि ` 1254763/- का मिलान न कराया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी पौड़ी के रजिस्टर नम्बर-4 का DDO Reconcilation statement के चयनित माह 09/2016 व 12/2015 से मिलान करने पर पाया कि निम्नलिखित धनराशि DDO Reconcilation Statement में दर्ज है लेकिन उक्त धनराशि विभाग के रजिस्टर नं0 4 में दर्ज नहीं थी जिसका विवरण निम्न है।

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	लेखाशीर्ष	चैक नम्बर	धनराशि
1	33	21.09.2016	800901101020000	U0000001131	450000
2	26	26.09.2016	202900103030011	U0000001182	17225
3	52	09.12.2015	202900103030001	CN44711240	229700
4	61	09.12.2015	800901101010000	CT68116464	165281
5	11712	31.12.2015	202900101030001	CN45681852	294397
6	11712	31.12.2015	202900101030001	CT69113125	98160
				योग-	**1254763**

उक्त धनराशि ` 1254763/- DDO Reconcilation Statement में दर्ज है जिसका मिलान विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त धनराशि के प्रविष्टी त्रुटिवश छूट गई है। जिसे पूर्ण कर आगामी सम्प्रेक्षा में अवलोकित करा दिया जायेगा।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि आहरण वितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि DDO Reconcilation Statement में दी गयी धनराशि का मिलान हेतु सम्बन्धित अनुभाग को निर्देशित करें। जो विभाग द्वारा नहीं किया गया।

अतः धनराशि ` 1254763/- का मिलान न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	प्रथम लेखापरीक्षा है		

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीष्ज्ञण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-ÎII में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i) **शून्य**

(ii)

(iii)

2. सतत् अनियमिततायें :

(i) शून्य

(ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	**श्रीमती ज्योति खैरवाल**	**उपजिलाधिकारी**	**12.05.2012**	**17.02.2013**
2.	**श्री नितिन भदौरिया**	**उपजिलाधिकारी**	**18.02.2013**	**28.06.2013**
3.	**श्री पूरन राणा**	**उपजिलाधिकारी**	**29.06.2013**	**11.07.2013**
4.	**श्री पी0एल0 शाह**	**उपजिलाधिकारी**	**12.07.2013**	**07.10.2016**
5.	**श्री किशन सिंह नेगी**	**उपजिलाधिकारी**	**08.10.2016**	**वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपजिलाधिकारी (बा0) पौडी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (सम्बन्धित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र